न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 31 GCMS:- 2018/00263 **दायर दिनांक : 13.03.2018**

1. साहबजादी पुत्री बखां पत्नी गुलाम पुत्र गजा जाति मुसलमान (मृतक)

1/1 असकर पुत्र (माता) साहबजादी पिता फजलदीन जाति मुसलमान निवासी चक 5 एम.सी. ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. सरीफ खां
2. मनसा खां
3. शाक मोहम्मद

} पुत्रगण खान मोहम्मद अकवाम मुसलमान निवासीयान चक 5 एम.सी. (2 जी.बी.एम.) 270 वाली पुली के उत्तर में, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 08/09/2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर, वाद के साथ यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि गजा पुत्र दलेखां के नाम से रोही उदयपुर वास गोदारा के खसरा नं. 32 में 44.01 बीघा व खसरा नं. 93 में 53.04 बीघा, कुल 97.05 बीघा बारानी खातेदारी भूमि थी जो उनके स्वर्गवास उपरान्त वारिसान पुत्रों, पत्नी, पुत्री के नाम से दर्ज हो गयी। उक्त रकबा बरवक्त चकबन्दी चक 4 एम.सी. के पत्थर नं. 76/18 के किला नं. 6 ता 14, 16 ता 18, 20, 22 ता 25, पत्थर नं. 76/[illegible] 27, व 76/19 में

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:14:36 IST
Reason: SelfAttested

पैमूद हुआ, जिसमें से कुछ रकबा नहर के दक्षिण में, कुछ रकबा उत्तर दिशा में व कुछ रकबा नहर व कुछ रकबा सूरतगढ़ से छत्तरगढ़ को जाने वाली सड़क में आ गया। साहबजादी, बखां व गुलाम पुत्र गजा की पुत्री है व जैरप्रकरण रकबा साहबजादी की माता बखां के नाम से दर्ज होने से व प्रार्थी असकर साहबजादी का पुत्र होने के कारण जैरप्रकरण रकबा में हक व हिस्सा होने से वाद–पत्र व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी है। प्रार्थी के खातेदारी रकबा, जहां नहर निर्माण के लिए सर्वे किया गया था, वहां नहर नहीं बनने से उस रकबा को रकबाराज कर दिया गया था। यह रकबा चक 2 जी.बी.एम. के पत्थर नं. 76/18 (116) के किला नं. 1 ता 5, 8 ता 10 का 1.431 है0 रकबाराज कृषि योग्य भूमि दर्ज रिकॉर्ड अनुसार है जिसकी घोषणा के लिए व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थी ने वाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 वाद निर्णय से पूर्व ही जैरप्रकरण रकबा में दखलन्दाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निर्णय तक जैरप्रकरण रकबा में स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से दखलन्दाजी न करें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को इकतरफा सुना जाकर दिनांक 13.03.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 76/18 (116) के किला नं. 1 ता 5, 8 ता 10 की 1.431 है0 भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण अभिभाषक सहित उपस्थित हुए व जैरप्रकरण भूमि पर प्रार्थी का कब्जा ना होने व आबादी बसी होने के साक्ष्य सहित जवाब प्रस्तुत कर स्थगन निरस्त करने का निवेदन किया।

जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त पक्षकारान के तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही उदयपुर वास गोदारा के खसरा नं. 92 में 44.01 बीघा व खसरा नं. 93

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:14:36 IST
Reason: SelfAttested

में 53.04 बीघा, कुल 97.05 बीघा बारानी खातेदारी भूमि गजा पुत्र दलेखां की थी जो बाद मृत्यु गजा के वारिसान प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज हुई। प्रार्थी की माता साहबजादी की माता बखां के नाम उक्त भूमि से बने चक 4 एम.सी. के पत्थर नं. 76/18, 76/26, 76/27, व 76/19 में रकबा है। वारिस होने से साहबजादी पुत्री बखां (मृतक) की सम्पत्ति में बतौर वारिस प्रार्थी हक रखता है। गजा की भूमि से ही बने चक 2 जी.बी.एम. के पत्थर नं. 76/18 (116) के किला नं. 1 ता 5, 8 ता 10 की 1.431 है0 भूमि रकबाराज दर्ज कर दी गई, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3, प्रार्थी के कब्जा काश्त की उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्हें स्थगन के माध्यम से रोका जाना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनना बताकर पूर्व में जारी स्थगन दिनांक 13.03.2018 की अवधि ताफैसला वाद बढ़ाये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने पूर्व में दिये गये जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनना बताते हुए व जैरप्रकरण रकबा पर कब्जा प्रार्थी का सिद्ध ना होने एवं आबादी बसी होने का तर्क देकर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अप्रार्थीगण के मकानात प्रश्नगत भूमि पर बने हैं, यह शपथ–पत्रों से सिद्ध होता है, जिसका प्रतिशपथ–पत्र प्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया है। प्रश्नगत भूमि गजा के नाम अंकित भूमि के खसराजात से बनी है, सिद्ध नहीं होती, जो प्राथमिक रूप से प्रार्थी का मामला ना बनने को सिद्ध करती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार बाद सुनवाई प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला ना बनने व मौका पर प्रश्नगत भूमि पर आबासी बसी होने का तथ्य आने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निरस्त किया जाता है व इसी अनुसार पूर्व में जारी स्थगन दिनांक 13.03.2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/09/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:14:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)